जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्री राजेश नागौरा प्रस्तावित खनन परियोजना रेफेरेन्स नम्बर 20221000061209, क्षेत्रफल 2.9230 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 200750 टन प्रति वर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 17.1636 हैक्टेयर, क्लस्टर की उत्पादन क्षमता 1722683.8 टन प्रति वर्ष के खसरा नम्बर 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एवं 1/7 ग्राम थडी, तहसील मालपुरा जिला टोंक (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक, जिला टोंक की अध्यक्षता मे दिनांक 23.08.2024 को दोपहर 02:00 बजे राजीव सेवा केन्द्र, आटोली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (**Minutes**) का विवरण–

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसुचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय/पर्यावरण जनसुनवाई/2024/6793 दिनांक 09.07.2024 एवं क्षेत्रिय कार्यालय, राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ–बूंदी/पी.यू.बी.-348/427–433 दिनांक 10.07.2024 के अनुपालना में मैसर्स राजेश नागौरा प्रस्तावित खनन परियोजना रेफेरेन्स नम्बर 20221000061209, क्षेत्रफल 2.9230 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 200750 टन प्रति वर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 17.1636 हैक्टेयर, क्लस्टर की उत्पादन क्षमता 1722683.8 टन प्रति वर्ष के खसरा नम्बर 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एवं 1/7 ग्राम थडी, तहसील मालपुरा जिला टोंक (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जन सुनवाई दिनांक 23.08.2024 को आयोजित की गई।

सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्र ताज भारती समाचार पत्र के संस्करण में दिनांक 19.07.2024 एवं इण्डीयन एक्सप्रेस के संस्करण में दिनांक 19.07.2024 को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।

जन सुनवाई के प्रारम्भ मे राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुको का स्वागत किया। तत्पश्चात श्रीमान सुरेश चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की अनुमति से जन सुनवाई प्रारम्भ की गई।

Savita

(सुरेश चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर एवं
अति.जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

श्रीमती सविता, क्षेत्रिय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी ने जन सुनवाई के प्रावधान, उदेदश्य एवं महत्त्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एव परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रंबधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार वाईब्रेट टेक्नोलैब प्राईवेट लिमिटेड़ के तकनीकी सलाहकार श्री रवि कुमार के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/जनसमुह को विस्तृत जानकारी दी। खनन मय क्लस्टर की प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताएं, कुल उत्पादन क्षमता, खनन योग्य. खनिज भण्डार, खनन विधि, खान की आयु, अध्ययन क्षेत्र का विवरण, टोपोग्राफी, खनन से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभाव और न्यूनीकरण उपाय, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टी का विकास, व्यवसयिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य एवं कोर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.) के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी एवं श्रीमान् सुरेश चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की ओर से जन सुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आमंत्रित किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ने जनसुनवाई में उपस्थित ग्राम वासियों/जनसमूह को बताया कि आप सभी ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के बारे में जो भी बताया है आप की तरफ से जो भी आपेक्ष/सुझाव हो उसका जवाब दिया जायेगा। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा गांव वालों को खान से कोई आपत्ति के बारे में पुछा तथा बताया की अगर कोई समस्या हो तो आप लिखित में भी अपना सुझाव दे सकते है।

इसी क्रम में ग्रामवासी/जनसमुदाय ने खान के बारे में कोई आपति नहीं है बताया और कहा कि हमे इस परियोजना से कोई दिक्कत नही है। हमे इस खनन परियोजना से लाभ ही मिलेगा।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा उपस्थित ग्रामवासी/जनसमूह से पुनः आग्रह किया की कोई सुझाव और अगर कोई आपति हो तो बताए।

Savita

(सुरेश चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर एवं
अति.जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

जन सुनवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव/अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नही हुए है।

प्रस्तावित खनन परियोजना हेतु ग्राम आटोली, तहसील मालपुरा एवं जिला टोंक, में 02 खनन कल्स्टर की जनसुनवाई भी दिनांक 23.08.2024 को ही की गई। प्रस्तावित खनन परियोजना का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. मैसर्स विकास नागर प्रस्तावित खनन परियोजना (ग्रेनाईट) के खनन की क्लस्टर मय खनन परियोजना रेफेरेन्स नम्बर 20221000060932, क्षेत्रफल 1.3454 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 130075 टन प्रतिवर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 17.1636 हैक्टेयर, क्लस्टर की उत्पादन क्षमता 1722683.8 टन प्रति वर्ष के खसरा नम्बर 28/11 निकट ग्राम– थडी तहसील मालपुरा, जिला टोंक (राजस्थान)।
2. मैसर्स श्री राकेश यादव प्रस्तावित खनन परियोजना रेफेरेन्स नम्बर 20221000060931, क्षेत्रफल 1.3454 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 129662 टन प्रति वर्ष एवं क्लस्टर का कुल क्षेत्रफल 17.1636 हैक्टेयर, क्लस्टर की उत्पादन क्षमता 1722683.8 टन प्रति वर्ष, ग्राम थडी, तहसील मालपुरा जिला टोंक (राजस्थान)।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा उपस्थित सभी व्यक्तियों को बताया गया कि सभी प्रस्तावित खनन परियोजना संबंध में विस्तृत जानकारी खनन प्रतिनिधि द्वारा की गई है उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि सभी जनसुनवाई में हमारे द्वारा दिए गए सुझाव आपत्ति समान ही रहेंगे।

अंत में श्रीमान् सुरेश चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की अनुमति से श्रीमती सविता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बूंदी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों/ जनसमूह को शांति एवं संयम पूर्वक अपनी बात कहने, जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए जन सुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई। जन सुनवाई की विडियो रिकॉर्डिंग व सी.डी. संलग्न है।

सुरेश चौधरी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज.)
(सुरेश चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर एवं
अति.जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

सविता
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म. बूंदी (राज)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बूंदी (राजस्थान)

AAVAS FINANCIERS LIMITED

(Formerly known as Au HOUSING FINANCE LIMITED) (CIN:L65922RJ2011PLCO34297)
Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur. 302020

Demand Notice Under Section 13(2) of Securitisation Act of 2002

As the Loan Account Became NPA therefore The Authorised Officer (AO) Under section 13 (2) Of Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act 2002 had issued 60 day demand notice to the borrower as given in the table. According to the Notice If the Borrower does not deposit the Amount within 60 days, the amount will be recovered from Auction of the security as given below. As the demand Notice send to the borrower/guarantor has not been served, copy of demand notice has also been affixed on the secured assets as given below. Therefore you the borrower is informed to deposit the loan amount along with future interest and recovery expenses within 60 days, otherwise under the provisions of section 13 (4) and 14 of the said Act, the AO is free to take possession of the Security as given below.

Name of the Borrower	Date and Amount of Demand Notice Under Sec. 13(2)	Description of Mortgaged property
TEENA DEVI, Mr. KAJOD MAL GUARANTOR : Mr. SUNIL BISHNOI (A/c No.) LNJAR00317-180071340	16 Jul 24 Rs. 1415608/- 15 Jul 24	PLOT NO 36, SITUATED AT SCHEME NARAYAN VATIKA, BICHPADI ROAD, NIMERA, JAIPUR, RAJASTHAN **Admeasuring 340 Sq. Yard**

Authorised Officer Aavas Financiers Limited

Place : Jaipur **Date : 19.07.2024**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Regional Office

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB / RO Bundi / PUB-347 / **Date: 10.07.2024**

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स विकास नागर खसरा नम्बर 28/11, निकट ग्राम थड़ी तहसील मालपुरा जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट व मेजा पत्थर माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट व मेजा पत्थर माइनिंग कलस्टर क्षेत्र - 17.1636 हेक्टर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 1722683.8 TPA आवेदक मैसर्स विकास नागर द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट व मेजा पत्थर माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.3454 हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 130075 टीपीए, जो कि खसरा नम्बर 28 / 11, निकट ग्राम थड़ी तहसील मालपुरा जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स विकास नागर ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस. ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षितप कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:- I. जिला कलक्टर, टोंक। II. CEO जिला परिषद् टोंक | III. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। Iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर। V. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, टोंक। vi. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक vii. क्षेत्रीय प्रबधंक रीको, टोंक | viii. ग्राम पंचायत, कुराद | ix. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम आटोली तहसील मालपुरा, जिला टोंक X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई / 2024/6793 दिनांक 09.07.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 1:00 बजे, स्थान- राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम आटोली तहसील मालपुरा, जिला टॉक में उपस्थित होकर अपने लिखित/ मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सांवधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(संविता) क्षेत्रीय अधिकारी

Regional Office

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB / RO Bundi / PUB-348 / **Date: 10.07.2024**

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स राजेश नागौरा खसरा नम्बर 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 व 1/7, निकट ग्राम थड़ी तहसील मालपुरा जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट व मेजा पत्थर माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट व मेजा पत्थर माइनिंग कलस्टर क्षेत्र - 17.1636 हेक्टर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 1722683.8 TPA आवेदक मैसर्स राजेश नागौरा द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट व मेजा पत्थर माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 2.9230 हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 200750 टीपीए, जो कि खसरा नम्बर 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 व 1 /7, निकट ग्राम थड़ी तहसील मालपुरा जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स राजेश नागौरा ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस. ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षितप कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:- I. जिला कलक्टर, टोंक। II. CEO जिला परिषद् टोंक | III. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। Iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर। V. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, टोंक। vi. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक vii. क्षेत्रीय प्रबधंक रीको, टोंक। viii. ग्राम पंचायत, कुराद | ix. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम आटोली तहसील मालपुरा, जिला टोंक X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर | xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई / 2024 / 6793 दिनांक 09.07.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 2:00 बजे, स्थान- राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम आटोली तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियो की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता) क्षेत्रीय अधिकारी

PUBLIC NOTICE

Public Notice is hereby given that the original title documents namly 1) Original Gift Deed dated 24.01.2002, executed by Rajendra Kumar S/o Shri Harakh Chand Lalwani in favour of Smt. Vimla Devi W/o Shri Vimal Kumar Sonawat AND 2) Original Sale Deed dated 16.04.1996, executed by Rajendra Kumar S/o Shri Harakh Chand Lalwani in favour of Smt. Vimla Devi W/o Shri Vimal Kumar Sonawat, same was registered in office of sub registrar, Bikaner on 26.04.1996, book no.1, zild no. 565, page no. 60, sr. no. 1438, pertaining to the immovable properties of Smt. Vimla Devi W/o Shri Vimal Kumar Sonawat, situated at Near Nagrik seva Sadan, Gangashahar, Bikaner, deposited by way of security against a Facility availed by Smt. Vimla Devi W/o Shri Vimal Kumar Sonawat, has been misplaced from the custody of ICICI Bank Ltd., Kotegate Branch. Bikaner. An Information report has been registered in Rajasthan Police through LR No. 2236986/2024 dated 12.07.2024. Any person/s who has/have any claim, right, title and interest in the said document(s) and/ or any person/s coming into possession of the aforesaid document(s) is/are having knowledge of its whereabouts are hereby requested to intimate ICICI Bank, Kotegate Branch, Bikaner, forthwith about the same at the below mentioned address for examination and such further action as may be advised. Any person receiving or dealing with the said document(s) would do so at their own risk and responsibility and ICICI Bank Ltd. will not be liable in any manner whatsoever for any loss incurred on account of any such dealing. In the event no information is received by ICICI Bank Ltd. within 14 days from date hereof, the original Gift Deed and Original Sale Deed, details as mentioned above, shall be treated as irretrievably lost and request by ICICI Bank shall be made to office of Sub Registrar at Bikaner, for issuing a certified true copy of the document(s) lost, which will be treated as the same as original one for all the intent and purposes thereafter. Date : 18th July 2024

ICICI BANK LTD., Branch Kotegate
Outside Kotegate, Bikaner, Rajasthan

AU SMALL FINANCE BA

AU SMALL FINANCE BANK

Regd. Office: 19-A, Dhuleshwar Garden, Ajmer R

APPEN

[See provis

SALE NOTICE FOR SALE O

E-auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and R with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower / C mortgaged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the the same shall be referred herein after as AUSFB . The Secured Assets, will be sold recovery of amount mentioned in the table below along with further interest, cost, It is hereby informed you that we are going to conduct public E-Auction through web

Account No. and Name of borrower/ Co-borrower/ Mortgagors/ Guarantor	Date & Amount as per Demand Notice U/s 13(2) & Date of Symbolic Possession and amount as on (Date)	Desc Prop
2221223144226989 **M/S. GOYAL SYNTHETICS** **THROUGH IT'S PROPRIETOR MRS. PRIYANKA KEYAL (BORROWER)** MRS. PRIYANKA KEYAL W/O MR. RAJKUMAR KEYAL (MORTGAGOR)	**13(2) Notice Issue Date 01/11/2023** For Loan Account No: 2221223144226989 Is Rs. 1,54,61,909/- (Rupees One Crore Fifty Four Lakh Sixty One Thousand Nine Hundred Nine Only) as on date 31 October 2023 **Symbolic Possession done on 20-Jan-2024** For Loan Account No. 2221223144226989	All that residenti 83, Situ Colony, Revnue Bhilwara admeas Owned Keyal. East: Ro West: Pl North: P

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED

SMFG IndiaCredit

(Formerly Fullerton India Credit Company Limited)

Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101,102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice of 15 days for Sale of Immovable Asset(s) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Public Notice

NOTICE IS HEREBY GIVEN that ourClient intends toenter into a transaction with the current owners of lands measuring approximately ~ 45.22375 acres situated in Village: Sangarh, Tehsil Fatehgarh, District Jaisalmer, Rajasthan (**"Subject Lands"**). The description of Subject Lands along with its current owners is more particularly described in the schedule below.

Any entity / person including any Bank or Financial Institution having or claiming any right, title, claim, benefit, demand or interest, exchange, assignment, charge, gift, license, tenancy, inheritance, lien, mortgage, hypothecation, encumbrance, pending litigation, possession, contract/agreement, development rights, partnership, family arrangement/ settlement, Decree or Order of any Court of Law, acquisition by Government or any entity, prohibition or any other impediment with respect to the Subject Lands or has any objection to the intended above-referred transaction by our Clients or if any entity / person including any Bank or Financial Institution has any knowledge of or with respect to the Subject Lands, such entity / person may inform us in writing with documentary proof on the address mentioned below within a period of 10 (Ten days) days from the date of publication of this notice, failing which it shall be presumed that no adverse right, title, interest, share, claim or demand of any nature whatsoever exists in respect of the Subject Lands, and the below mentioned owners are vested with absolute, clear and marketable title, possession and interest over the Subject Lands and our Client shall proceed with the transaction.

Schedule

Village -Sangarh, Tehsil - Fatehgarh, Distt. - Jaisalmer

Sr. No.	Khasra No.	Farmers Name	Area In Hr	Area In Acre
1.	596	Chandan Das S/O Meghudan	7.1192	17.798
2.	597	Chandan Das S/O Meghudhan	10.9943	27.48675
		Total	18.1135	45.22375

Ashok Kumar/ Arun Kumar Advocates
Indus Law, New Delhi, M.No. 9999193897 Email- ashok.kumar@induslaw.com

---

Regional Office

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB / RO Bundi / PUB-349 / **Date: 10.07.2024**

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स राकेश यादव, खसरा नम्बर 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7 व 28/8, निकट ग्राम थडी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट व चेजा पत्थर माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट व चेजा पत्थर माइनिंग कलस्टर क्षेत्र - 17.1636 हेक्टर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 1722683.8 TPA आवेदक मैसर्स राकेश यादव द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट व चेजा पत्थर माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.3454 हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 129662 टीपीए, जो कि खसरा नम्बर 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7 व 28 / 8, निकट ग्राम थडी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स राकेश यादव ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षितप कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है: -I. जिला कलक्टर, टोंक। II. CEO जिला परिषद् टोंक। III. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। IV. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर। V. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, टोंक। VI. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक VII. क्षेत्रीय प्रबधंक रीको, टोंक। VIII. ग्राम पंचायत, कुराद। IX. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम आटोली तहसील मालपुरा, जिला टोंक X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। XI. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/6793 दिनांक 09.07.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 1:30 बजे, स्थान- राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम आटोली तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता) क्षेत्रीय अधिकारी

...NK LIMITED (A SCHEDULED COMMERCIAL BANK)

...ad, Jaipur-302001, Rajasthan (India) CIN: L36911RJ1996PLC011381

...DIX-IV-A

...to rule 8(6)]

...IMMOVABLE PROPERTIES

...construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read

...Borrower/ Guarantor/ Mortgagor(s) that the below described immovable properties ...uthorised Officer of AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank), ...n "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis through E-Auction for ...harges and expenses being due to AUSFB viz. Secured Creditor. ...te https://sarfaesi.auctiontiger.net

...ptions of the ...ty/Properties	Reserve Price, Earnest Money Deposit & Bid Increment Amount (Amount in Rs.)	E-Auction Date and Time, EMD Submission Last Date, Place of Submission of Bids and Documents, Inspection Date
...art and parcel of ...property, Plot No. ...ed at Mahaveer ...raji No. 4013/1, ...m Pansal, District- ...Rajasthan. Having ...ng 2691 Sq. Feet, ...y Mrs. Priyanka ...o. 84, 85	**RESERVE PRICE** Rs. 1,65,00,000/- (Rupees One Crore Sixty Five Lakh Only) **EMD** Rs. 16,50,000/- (Rupees Sixteen Lakh Fifty Thousand Only)	22-August-2024 From 02:00 PM to 04:00 PM With unlimited extension of Five Minutes Last Date of Bid Submission 21-August-2024 Upto 06:00 PM AU Small Finance Bank Ltd., Bank Branch-Ward 13, Plot No. C1-C4, Hira Panna Market, Pur Road, Bhilwara,Rajasthan-311001 EmailID: rakesh.jain1@aubank.in

---

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED

SMFG India Credit

(Formerly Fullerton India Credit Company Limited)

Corporate Office: 10th Floor, Office No. 101,102 & 103, 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051.

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice of 15 days for Sale of Immovable Asset(s) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Company Limited)/Secured Creditor, will be sold on **"As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 07/08/2024 at 11:00 am to 01:00 pm** (with unlimited extensions of 5 minute each), for recovery **Rs. 18,82,842/- (Rupees Eighteen Lakh Eighty Two Thousand Eight Hundred Forty Two Only)** due as on 19/05/2022 and further interest and other expenses thereon till the date of realization, due to **SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Company Limited)/Secured Creditor** from the Borrowers and Guarantor(s) namely **Balveer Singh Rathore, Sumer Singh Rathore, Bhanwar Kunwar**.

The reserve price will **Rs. 18,15,000/- (Rupees Eighteen Lakhs Fifteen Thousand Only)** and the Earnest Money Deposit (EMD) will be **Rs. 1,81,500/- (Rupees One Lakhs Eighty One Thousand Five Hundred Only)**. The last date of EMD deposit is **06/08/2024.**

Description of Immovable Property: All that part and parcel of property bearing Khasra No.-1724/1161 (Part of khasra no.-1161) Situated at Village- Bemla, Patwar Area- Bemla, Teh.- Girwa, Distt.-Udaipur (Raj.) Area 0.0465 Hec. (93/100th share of khasra no.-1724/1161). Bounded as – EAST- Road 30 Ft wide, West- Land of roop singh, North- House of Mr.Bhopal singh, South – House of Mr.Narayan Singh.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Company Limited)/Secured Creditor's website i.e. **www.smfgindiacredit.com**

Place: Udaipur Date: 19.07.2024 SD/-, Authorised Officer.
SMFG India Credit Company Limited (Formerly Fullerton India Credit Co. Ltd.)

POSSESSION NOTICE
(for immovable property)

Whereas,

The undersigned being the Authorized Officer of **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029)** (now known as **SAMMAAN CAPITAL LTD**) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated **05.09.2023** calling upon the Borrower(s) **SUKHJEET SINGH, RAJNI RANI AND NARESH KUMAR KOLI (GUARANTOR)** to repay the amount mentioned in the Notice being **Rs. 21,27,763.45 (Rupees Twenty One Lakh Twenty Seven Thousand Seven Hundred Sixty Three And Paise Forty Five Only)** against Loan Account No. **HHLSGA00451220** as on **04.09.2023** and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower (s) and the public in general that the undersigned has taken **possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of theSecurity Interest (Enforcement) Rules, 2002 on **13.07.2024.**

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED** (now known as **SAMMAAN CAPITAL LTD**) for an amount of **Rs. 21,27,763.45 (Rupees Twenty One Lakh Twenty Seven Thousand Seven Hundred Sixty Three And Paise Forty Five Only)** as on **04.09.2023** and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

ALL THAT PART AND PARCEL OF HOUSE ON PLOT NO. B-03, ADMEASURIMNG AREA 25 X 62.6 FT. SITUATED AT SAI ENCLAVE, ON THE LAND BEARING MURBBA NO. 23 OF KILLA NO. 5, VAKA CHAK NO. 1-B CHHOTI TEHSIL NEAR GURU HARI KISHAN PUBLIC SCHOOL, SRI GANGA NAGAR-335001 RAJASTHAN.

Sd/-
Authorized Officer
Date : 13.07.2024 SAMMAAN CAPITAL LTD
Place :SRI GANGA NAGAR (FORMERLY INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED)

LAXMI INDIA FINANCE PRIVATE LIMITED

(Formerly known as Laxmi India Finleasecap Private Limited)
(CIN: U65929RJ1996PTC073074)
Corp. Office: 2, DFL Tower, Gopinath Marg, MI Road, Jaipur – 302001, Rajasthan, India. Ph.: +91-141-4031166 I email: info@lifc.in

APPENDIX IV [SEE RULE 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the **Laxmi India Finance Private Limited** under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest [Act, 2002 (54 of 2002)] and in exercise of Powers conferred under Section 13 (12) read with [rule 3] of the Security Interest (Enforcement) Rules, **2002, issued demand notice dated**

चेक कर लें। उसके बाद इसे फ्रिज में ठंडा करने के बाद पीएं।

...ा इंडिया के फाउंडेशन आनंदना और ग्राम ...र्नाटक में आम की स्थायी खेती को बढ़ावा ...ए 'प्रोजेक्ट उन्नति मैंगो' लॉन्च किया

को खेती में पूरा सहयोग मिलेगा। इसमें किसानों को कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना शामिल है। ग्राम उन्नति के सीईओ और फाउंडर अनीश जैन ने इस प्रोजेक्ट के लॉन्च के बारे में कहा, ग्राम उन्नति को इस परियोजना के लिए आनंदना के साथ साझेदारी करके गर्व हो रहा है। यह प्रोजेक्ट स्थायी खेती और किसानों को आर्थिक व सामाजिक लिहाज से मजबूत बनाने की हमारी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। हमारा लक्ष्य खेती के आधुनिक तरीके अपनाकर और गुणवत्ता पर खास ध्यान देकर कर्नाटक में आम की खेती करने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाना है। हम एक साथ मिलकर आम की खेती के स्थायी विकास और इसमें नए-नए तरीके अपनाने को बढ़ावा देंगे। इससे किसानों और पर्यावरण दोनों को लाभ होगा। कोका कोला इंडिया और साउथ वेस्ट ...िया के लिए सस्टेनेबिलटी और ...आर के सीनियर डायरेक्टर श्री ... अयाप्पिला ने कहा, किसान भारत ... बागवानी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी ... प्रोजेक्ट उन्नति मैंगो के साथ हम ... के आधुनिक समाधानों से इन ... की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, ... हैं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त ... चाहते हैं। यह भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने से मेल खाता है, जो कृषि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना रहा है।'' इसके अलावा, यह परियोजना फसल उगाने के संबंध में किसानों को सलाह संबंधी सेवाएं देगी, उन्हें मौसम की भविष्यवाणी भी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से किसानों को बिगड़ते मौसम के संबंध में भी चेतावनी मिलेगी। इससे किसान क्लाइमेट-स्मार्ट तकनीक से लैस होंगे और इससे फसलों की पहचान और स्थिरता में भी सुधार आएगा। महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन किये गये हैं जो खेती में पुरुषों एवं महिलाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा देते हैं।

प्रोजेक्ट उन्नति प्रोग्राम के विषय में- प्रोजेक्ट उन्नति मैंगो कोका कोला की फ्रूट सर्कुलर इकोनॉमी पहल है, जो स्थायी कृषि पर केंद्रित है। कंपनी की पहल किसानों की खेती में प्रवीणता बढ़ाने पर फोकस करती है। इसके लिए किसानों को खेती के आधुनिक तरीके सिखाए जाते हैं, जिसमें उच्च घनत्व में पौधारोपण (यूएचडीपी) करना और ड्रिप सिंचाई शामिल है। प्रोजेक्ट उन्नति कोका कोला इंडिया की ईएसजी की प्राथमिकताओं- स्थायी कृषि का प्रमुख स्तंभ है।

...ाए ...केट-फ्रेंडली मनोरंजन लेकर आए हैं

...च्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश के साथ ...स्मरणीय दिन बिताने का भी इंतजार है।

सभी के लिए निःशुल्क मोडेश वर्ल्ड एक और रोमांच से भरे वर्ष के लिए वापस आ गया है मोडेश वर्ल्ड, दुबई

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हॉल 3-8 में फैला हुआ एडुटेनमेंट आकर्षण जो मोडेश की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष परिवर्धन के साथ वापस आ गया है। पूरे गर्मियों में परिवारों के लिए अब तक का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक सीजन लेकर आने वाले इस शो में आगंतुकों को बिना रुके मनोरंजन, नए आकर्षण और रोमांचकारी लाइव शो, रोमांचक सवारी, जानकारीपूर्ण कार्यशालाओं और बहुत कुछ का एक व्यस्त कैलेंडर मिलेगा। मोडेश और उसके दोस्त दाना, मोडेश की 25वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए विशेष नए अनुभव पेश किए गए हैं, जो पूरे वर्ष जोड़े के रोमांच के आसपास थीम पर आधारित हैं। बच्चों के पास 170 से अधिक आकर्षण हैं।

23.08.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 1:00 बजे, स्थान- राजीव गांधी सेवा केंद्र, ग्राम आटोली तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/ मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(संविता) क्षेत्रीय अधिकारी

Regional Office

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD LiFE Lifestyle for Environment

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB / RO Bundi / PUB-349 / Date: 10.07.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स राकेश यादव, खसरा नम्बर 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7 व 28/8, निकट ग्राम थडी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट व चेजा पत्थर माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट व चेजा पत्थर माइनिंग कलस्टर क्षेत्र - 17.1636 हेक्टर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 1722683.8 TPA आवेदक मैसर्स राकेश यादव द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट व चेजा पत्थर माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.3454 हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 129662 टीपीए, जो कि खसरा नम्बर 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7 व 28 / 8, निकट ग्राम थडी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स राकेश यादव ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षितप कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है: - I. जिला कलक्टर, टोंक। II. CEO जिला परिषद् टोंक। III. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। Iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर। V. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, टोंक। vI. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक vII. क्षेत्रीय प्रबधंक रीको, टोंक। vIII. ग्राम पंचायत, कुराद। Ix. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम आटोली तहसील मालपुरा, जिला टोंक X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर xI. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई/ 2024/6793 दिनांक 09.07.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 1:30 बजे, स्थान- राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम आटोली तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता) क्षेत्रीय अधिकारी

Regional Office

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD LiFE Lifestyle for Environment

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi

E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB / RO Bundi / PUB-348 / Date: 10.07.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स राजेश नागौरा खसरा नम्बर 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 व 1/7, निकट ग्राम थडी तहसील मालपुरा जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट व चेजा पत्थर माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट व चेजा पत्थर माइनिंग कलस्टर क्षेत्र - 17.1636 हेक्टर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 1722683.8 TPA आवेदक मैसर्स राजेश नागौरा द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट व चेजा पत्थर माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 2.9230 हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 200750 टीपीए, जो कि खसरा नम्बर 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 व 1 /7, निकट ग्राम थडी तहसील मालपुरा जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स राजेश नागौरा ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस. ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षितप कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:- I. जिला कलक्टर, टोंक। II. CEO जिला परिषद् टोंक। III. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। Iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर। V. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, टोंक। vI. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक vII. क्षेत्रीय प्रबधंक रीको, टोंक। vIII. ग्राम पंचायत, कुराद। Ix. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम आटोली तहसील मालपुरा, जिला टोंक X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। xI. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुवनाई / 2024 / 6793 दिनांक 09.07.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 2:00 बजे, स्थान- राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम आटोली तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियो की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(सविता) क्षेत्रीय अधिकारी

। जिससे डाइजेशन को बूस्ट करने में मिलेगी मदद मानसून के दिनों
त्र को मज़बूत बनाने के लिए अक्सर लोग आहार में कई प्रकार के
करते हैं। दरअसल, इम्यून सिस्टम में आने वाली कमी बैक्टीरिया के
बढ़ा देती है। ऐसे में गट हेल्थ को मज़बूत बनाने से अपच और
बचा जा सकता है। ऐसे में फर्मेंटेड ड्रिंक बेहद कारगर साबित होते
न केवल आंत के स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है बल्कि आहार में
बढ़ जाती है। जानते हैं फर्मेंटेड ड्रिंक की 4 रेसिपीज़, जिससे
को बूस्ट करने में मिलेगी मदद। इस बारे में डायटीशियन डॉ अदिति
ती हैं कि इन प्रोबायोटिक ड्रिंक से शरीर में गुड बैक्टीरिया की मात्रा
है, जिससे प्रोबायोटिक फंक्शन में मदद मिलती है। इन दिनों के सेवन
स्टाइनल समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। फर्मेंटेड ड्रिंक बनाने
फलों, सब्जियों और नमक का प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद इन्हें
के लिए अलग रख दिया जाता है। इससे ड्रिंक्स में फर्मेंटेशन बढ़ने
और स्वाद में खटास आ जाती है। इससे न केवल शरीर को
डेंटस की प्राप्ति होती है बल्कि वेटलॉस में भी मददगार साबित होता

जानें चुकंदर की कांजी बनाने की रेसिपी-इसे बनाने के लिए
से पहले एक बर्तन में पानी डालकर उसे उबलने के लिए रख दें।
चुकंदर को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें।पानी उबलने के बाद गैस
कर दें और उस हल्का ठंडा कर लें। कटी हुआ चुकंदर को कांच में
र्नी या जगह में डालकर रख दें। उसे चुकंदर में डालें। साथ ही काला
मक और सफेद नमक दोनों स्वादानुसार एड करें।हल्के गुनगुने पानी
को इस मिश्रण में डालें और बर्नी या जग को उपर से मलमल के कपड़े
से ढ़ककर 3 से 4 दिन के लिए रोशनी से दूर रखें।अब तैयार कांजी में
मिंट लीव्स को एड करके सर्व करें। इससे डाइजेशन संबधी समस्याएं
हल होने लगती हैं।

2. जिंजर लेमन केफिर / जानें इसे बनाने की विधि-इसे बनाने के लिए अदरक को छीलकर उसे क्रश करके उसका रस निकाल लें और अदरक के रस में नींबू का रस डाल दें। साथ ही बचा हुआ पानी भी उसमें एड कर दें।बोतल में केफिर वॉटर डाल दें और बोतल को सी करके 1 से 2 दिन के लिए अलग जगह पर रख दें।जब पानी पर बबल्स नज़र आने लगे, तो बोतल को खोलकर एक बार चेक कर लें। उसके बाद इसे फ्रिज में ठंडा करने के बाद पीएं।

अपनी उपलब्धता के बारे में जल्द सूचित करेंगे। संभवतः बुधवार को ऑनलाइन होने वाली बैठक से पहले वह बोर्ड को अपना भेज देंगे। अगर रोहित वनडे सीरीज में खेलने का फैसला करते हैं तो वह निस्संदेह टीम की अगुवाई करेंगे।भारतीय टीम ने जून में टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता और जुलाई केपहले और दूसरे हफ्ते में टीम

दिग्गजों को रियायत दी है। हालांकि, रोहित शर्मा की ओर से कुछ संकेत मिल रहे हैं कि वह अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ होने वाले तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए अपने आप को उपलब्ध करा सकते हैं। इस बात को देखते हुए कि फरवरी-मार्च 2025 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत कम वनडे मैच टीम इंडिया को खेलने हैं।

Regional Office

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

Date: 10.07.2024

RPCB / RO Bundi / PUB-347 /

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सुचना

विषय:- मैसर्स विकास नागर खसरा नम्बर 28/11, निकट ग्राम थडी तहसील मालपुरा जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट व चेजा पत्थर माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट व चेजा पत्थर माइनिंग कलस्टर क्षेत्र - 17.1636 हेक्टर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 1722683.8 TPA आवेदक मैसर्स विकास नागर द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट व चेजा पत्थर माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.3454 हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 130075 टीपीए, जो कि खसरा नम्बर 28 / 11, निकट ग्राम थडी तहसील मालपुरा जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स विकास नागर ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस. ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षितप कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:- i. जिला कलक्टर, टोंक I ii. CEO जिला परिषद् टोंक | III. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर I iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, [illegible] टोंक vii. क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, टोंक | viii. ग्राम पंचायत, कुराद | ix. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम आटोली तहसील मालपुरा, जिला टोंक X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। xi. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई / 2024/6793 दिनांक 09.07.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 1:00 बजे, स्थान- राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम आटोली तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/ मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव / आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

(संविता) क्षेत्रीय अधिकारी

फाउंडेशन आनंदना और ग्राम
ाम की स्थायी खेती को बढ़ावा
ट उन्नति मैंगो' लॉन्च किया

पूरा सहयोग मिलेगा। इसमें
कौशल प्रशिक्षण और
ता को बढ़ावा देना शामिल
के सीईओ और फाउंडर
इस प्रोजेक्ट के लॉन्च के
, ग्राम उन्नति को इस
लिए आनंदना के साथ
के गर्व हो रहा है। यह
ी खेती और किसानों को
ामाजिक लिहाज से मजबूत
ारी प्रतिबद्धता पर जोर देता
य खेती के आधुनिक तरीके
ौर गुणवत्ता पर खास ध्यान
क में आम की खेती करने
ों की आमदनी बढ़ाना है।
मिलकर आम की खेती के
और इसमें नए-नए तरीके
ढ़ावा देंगे। इससे किसानों
दोनों को लाभ होगा।
ंडिया और साउथ वेस्ट

आत्मनिर्भर भारत के सपने से मेल खाता है, जो कृषि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना रहा है।'' इसके अलावा, यह परियोजना फसल उगाने के संबंध में किसानों को सलाह संबंधी सेवाएं देगी, उन्हें मौसम की भविष्यवाणी भी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट से किसानों को बिगड़ते मौसम के संबंध में भी चेतावनी मिलेगी। इससे किसान क्लाइमेट-स्मार्ट तकनीक से लैस होंगे और इससे फसलों की पहचाम और स्थिरता में भी सुधार आएगा। महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल डिज़ाइन किये गये हैं जो खेती में पुरुषों एवं महिलाओं की समान भागीदारी को बढ़ावा देते हैं।

प्रोजेक्ट उन्नति प्रोग्राम के विषय में- प्रोजेक्ट उन्नति मैंगो कोका कोला की फ्रूट सर्कुलर इकोनॉमी पहल है, जो स्थायी कृषि पर केंद्रित है। कंपनी की पहल किसानों की खेती में प्रवीणता

Regional Office

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE

Plot No. D-15, Near Ishwari Fruit Garden, New Colony, Bundi
E-mail : rorpcb.bundi@gmail.com

RPCB / RO Bundi / PUB-349 /

Date: 10.07.2024

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सुचना

विषय:- मैसर्स राकेश यादव, खसरा नम्बर 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7 व 28/8, निकट ग्राम थडी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट व चेजा पत्थर माइनिंग परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्रेनाइट व चेजा पत्थर माइनिंग कलस्टर क्षेत्र - 17.1636 हेक्टर, कुल अनुमानित कलस्टर उत्पादन क्षमता 1722683.8 TPA आवेदक मैसर्स राकेश यादव द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाइट व चेजा पत्थर माइनिंग परियोजना है जिसका खनन क्षेत्र 1.3454 हेक्टर है तथा प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 129662 टीपीए, जो कि खसरा नम्बर 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7 व 28 / 8, निकट ग्राम थडी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

2. और चूंकि मैसर्स राकेश यादव ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सम्बंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) एवं संक्षितप कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है: - I. जिला कलक्टर, टोंक I II. CEO जिला परिषद् टोंक | III. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। Iv. क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर I V. महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, टोंक I vI. उपखण्ड अधिकारी मालपुरा, जिला टोंक vII. क्षेत्रीय प्रबधंक रीको, टोंक | vIII. ग्राम पंचायत, कुराद | Ix. राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम आटोली तहसील मालपुरा, जिला टोंक X. निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। xI. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल बूंदी जिला बूंदी।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक के पत्र क्रमांक के पत्र क्रमांक न्याय / पर्यावरण जनसुनवाई/ 2024/6793 दिनांक 09.07.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 23.08.2024 (शुक्रवार) को दोपहर 1:30 बजे, स्थान- राजीव गाँधी सेवा केंद्र, ग्राम आटोली तहसील मालपुरा, जिला टोंक में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, बूंदी जिला बूंदी में दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैशिक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों / सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

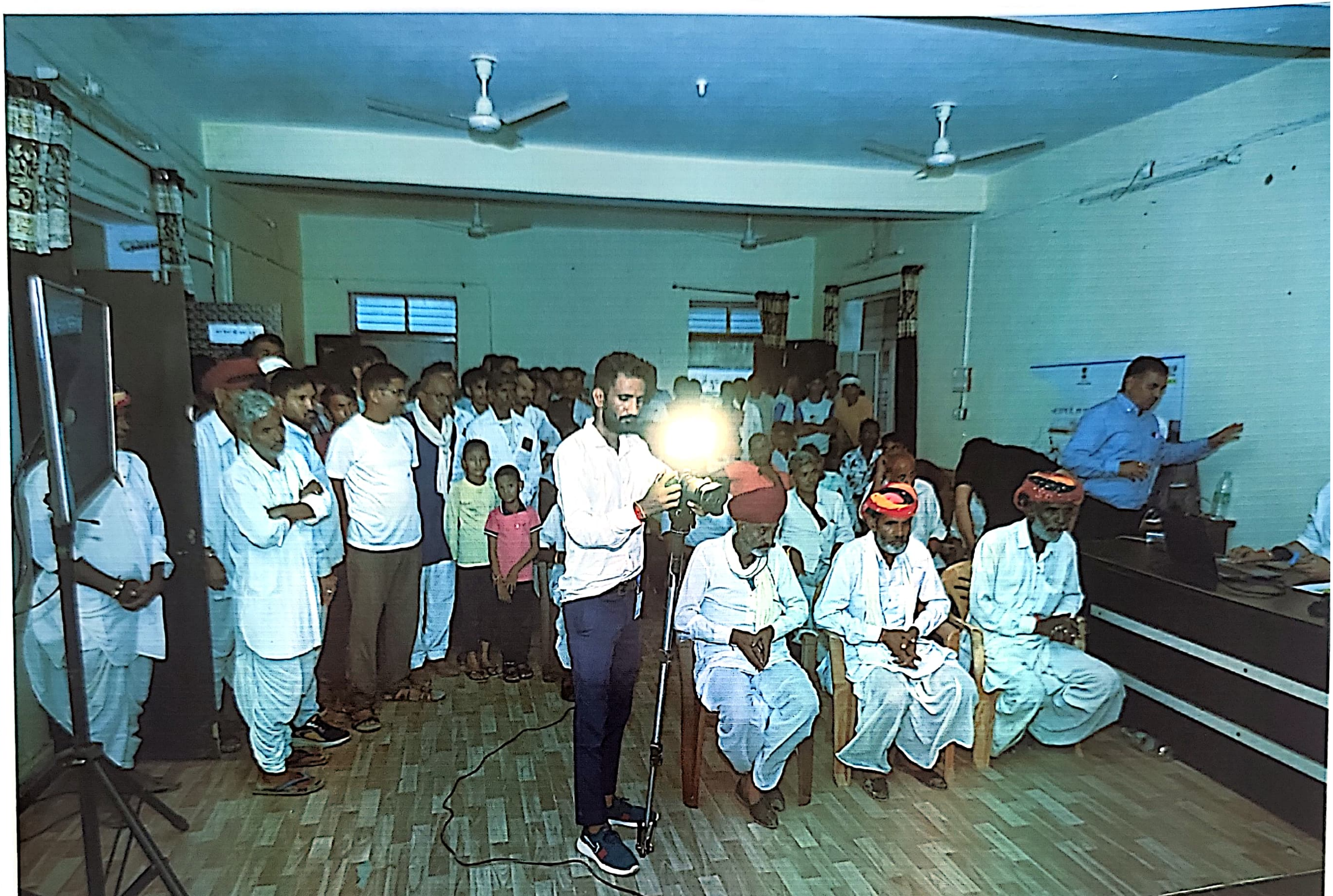

ह ठाना है, हर घर नल से जल पहुँचाना है

ग्राम पंचायत आँटोली
।।आवेदक।।
श्री राकेश यादव
पता – प्यार रोड, किशनगढ रेनवाल,
जिला – जयपुर (राजस्थान)
।।पर्यावरणीय सलाहकार।।
वाईब्रेंट टैक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड
पता : एस.सी.40, एस ब्लॉक, तृतीय तल,
नारायण विहार, मानसरोवर,
जयपुर –302001
ई–मेल : vibranttechnolab@gmail.com
ADM
TONK

ग्राम पंचायत आँटोली

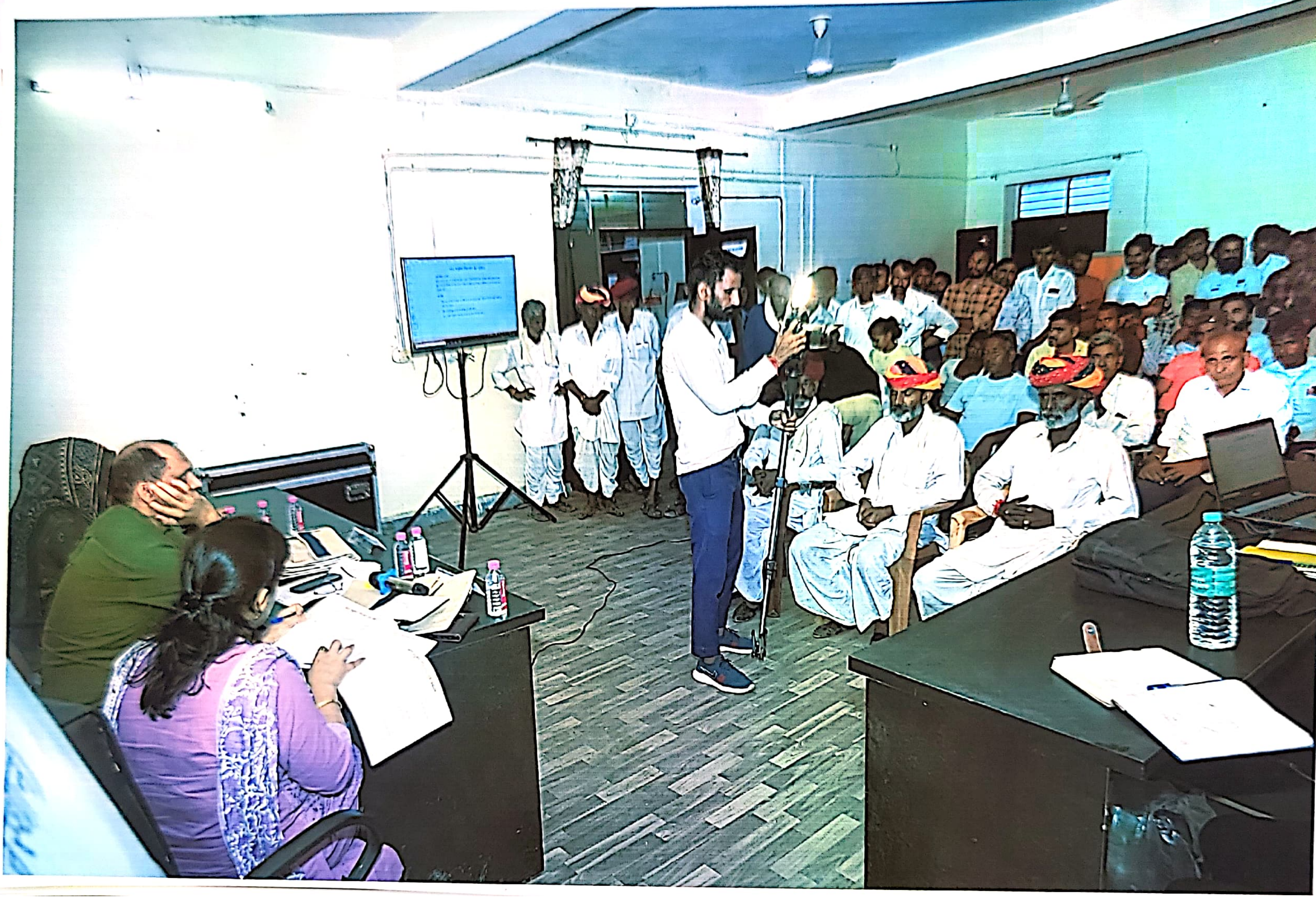

भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र
ग्राम पंचायत आंटोली पं.स.मालपुरा जिला-टोंक (राज.)

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स राजेश नागोरा, खसरा संख्या 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एवं 1/7, संदर्भ संख्या 20221000061209 क्षेत्रफल – 2.923 हैक्टेयर, निकट ग्राम थड़ी, तहसील मालपुरा, टोंक की प्रस्तावित ग्रेनाइट व चेजा पत्थर खनन परियोजना मय क्लस्टर, कुल क्लस्टर क्षेत्रफल – 17.1636 हैक्टेयर के सम्बन्ध में पर्यावरणीय सुनवाई :–

स्थान :– राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम आंटोली, तहसील मालपुरा, जिला टोंक

दिनांक :– 23.08.2024

समय :– दोपहर: 02:00 बजे से

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
1.	~~सुरेश चौधरी~~ ADM Tonk	[illegible]
2.	Savita, RO, RSPCB	Savita
3.	Dileep Kumar Meena, JEE, RSPCB, Bundi	Dileep
4.	नवरतन कहाड़ा	नवरतन
5.	मोतु राम	नन्दकिशोर
6.	प्रधानसिंह पु. पो. आंटोली	प्रधानसिंह [illegible]
7.	बजरंग लाल जाटि	[illegible]
8.	नवरतनलाल आंटोली	नवरतनलाल
9.	मोहनसिंह आंटोली	[illegible]
10.	सम्पत लाल थड़ी	जीवराज
11.		सम्पतलाल
12.	शिवराज आंटोली	शिवराज
13.	मो. [illegible] बैरवा आंटोली	[illegible]
14.	कमल थड़ी	[illegible]

क्र. सं.	नाम व पता	हस्ताक्षर
15.	आशीष आटोली	Ajay
16.	हरीराम आटोली	हरीराम
17.	रामस्वरूप चौधरी कुराड़	[illegible]
18.	हीरा लाल धाड़	हीरा लाल
19.	विश्राम नागर वही	[illegible]
20.	राकेश यादव वही	[illegible]
21.	मैलाराम वही	[illegible]
22.	Ravi Kumar (Vibrant Technolab Pvt Ltd)	[illegible]
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		